



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय गवई

SANJAY GAWAI

वित्ताधिकारी एवं कार्यकारी कुलसचिव

FINANCE OFFICER & ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230 906

फैक्स/Fax : + 91-7152-232 994

मोबाइल/Mobile : + 91-95453 35522

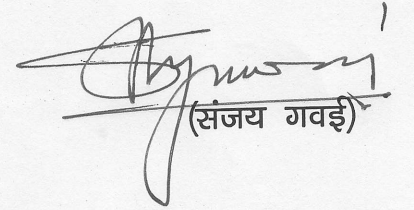
फा.सं.: 002/2011/सा.प./01/2014/723

दिनांक: 20.02.2015
22

परिपत्र

विश्वविद्यालय के हित में वित्तीय भुगतान संबंध में निम्नानुसार निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं-

1. सभी बैंक पर वित्ताधिकारी तथा एक अन्य अधिकारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।
2. बाह्य स्थान के भुगतान RTGS/NEFT/मांगपत्र द्वारा किए जाएंगे।
3. सभी बैंकों के पीछे विश्वविद्यालय का नाम, पता तथा टेलीफोन क्रमांक की मोहर लगाई जाएगी ताकी आवश्यकता होने पर बड़ी रकम के भुगतान करने से पूर्व संबंधित बैंक विश्वविद्यालय से पुष्टि करने हेतु संपर्क कर सके।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि : 1. प्रभारी: लीला विभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2. प्रबंधक - बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स,

वर्धा-442005